वीमर गणराज्य: लोकतांत्रिक प्रयोग, संरचनात्मक संकट और राजनीतिक अस्थिरता (1919–1933)
Weimar Republic: Democratic Experiment, Structural Crisis and Political Instability (1919–1933)

प्रथम विश्व युद्ध की पराजय के बाद 1919 में जर्मनी में वीमर गणराज्य की स्थापना हुई। यह जर्मन इतिहास में पहली संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। वीमर संविधान आधुनिक और उदार था। इसमें सार्वभौमिक मताधिकार, मौलिक अधिकारों की गारंटी और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। किंतु इसकी संरचना में कुछ अंतर्निहित कमजोरियाँ थीं।

संविधान का अनुच्छेद 48 राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान करता था, जिसके माध्यम से वह संसद को दरकिनार कर आदेश द्वारा शासन कर सकता था। बाद में इसी प्रावधान का उपयोग कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया गया। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण संसद में अनेक छोटे दलों का प्रवेश हुआ, जिससे स्थिर बहुमत बनाना कठिन हो गया।

वीमर गणराज्य को प्रारंभ से ही वैधता संकट का सामना करना पड़ा। दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी समूहों ने इसे “पीठ में छुरा घोंपने” (stab-in-the-back) की संधि से जोड़कर बदनाम किया। 1923 की अतिमुद्रास्फीति ने मध्यम वर्ग की बचत को नष्ट कर दिया और लोकतंत्र में विश्वास को कमजोर किया। यद्यपि 1924–1929 के बीच आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर आया, परंतु यह स्थायित्व अल्पकालिक था।

1929 की महामंदी ने जर्मन अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुँचाया। बेरोजगारी बढ़ी, औद्योगिक उत्पादन गिरा और राजनीतिक उग्रवाद को बल मिला। नाजी पार्टी ने आर्थिक संकट और राष्ट्रीय अपमान की भावना का उपयोग कर जनसमर्थन प्राप्त किया। 1933 में हिटलर के चांसलर बनने के साथ वीमर लोकतंत्र का अंत हो गया।

इतिहासलेखन में इस विषय पर व्यापक बहस है। संरचनात्मक दृष्टिकोण यह तर्क देता है कि संविधान की कमजोरियाँ और सामाजिक विभाजन इसके पतन के लिए उत्तरदायी थे। अन्य इतिहासकारों का मत है कि आर्थिक संकट और राजनीतिक नेतृत्व की विफलता निर्णायक कारक थे। कुछ विद्वान जर्मन राजनीतिक संस्कृति में लोकतांत्रिक परंपरा की कमी को भी महत्वपूर्ण मानते हैं।

निष्कर्षतः वीमर गणराज्य आधुनिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रयोग था, किंतु आर्थिक संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण और वैधता संकट के कारण यह टिक नहीं सका।